

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II के खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 41/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. ...(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2017-सीमाशुल्क दिनांक 20 अप्रैल, 2017, जिसे सा.का.नि. 394 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) की क्रम संख्याओं के कॉलम (3) और कॉलम (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
17.	“विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	नोवार्टिस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
18.	विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	नोवार्टिस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
19.	विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	नोवार्टिस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
20.	विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	सैंडोज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
21.	विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	नोवार्टिस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
22.	विन फॉर पेशेंट-कैंसर केयर/उमंग	नोवार्टिस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
43.	सुटेंट पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम-स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
44.	क्रिजाक पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम-स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
45.	इन्लाईटा पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम-स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
46.	पलबेस पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम-प्रेरणा	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

47.	एनब्रेल पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर लिमिटेड
48.	जेलजांज पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर लिमिटेड
49.	जेनोट्रोपिन पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
50.	एटगम पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
51.	एरोमासिन पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
52.	कैम्टो पेशेंट असिसटेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड".

[फा.सं. 332/24/2010-टीआरयू (पार्ट III)]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 16/2017-सीमा शुल्क दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को सा.का.नि. 394 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 83/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1356 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।